आवेदन पुस्तिका

क्रमांक -

नगर विकास न्यास, कोटा

श्रीमती वसुन्धरा राजे
मुख्य मंत्री राजस्थान सरकार

श्री श्रीचन्द कृपलानी
नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन मंत्री
राजस्थान सरकार

श्री रामकुमार मेहता
अध्यक्ष
नगर विकास न्यास, कोटा

मीरा बाई आवासीय योजना

भूखण्डों की सं. 77

500/-

आवेदन पत्र की विक्रय आरम्भ करने की तिथि	11 जून 2018
आवेदन पत्र जमा कराने की अन्तिम तिथि	26 जून 2018

1. ग्राम देवली अरब की आबादी के समीप ।
2. देवली अरब से नया नोहरा एवं हनुमन्त खेड़ा को जाने वाली सड़क पर स्थित।
3. न्यास की प्रस्तावित पार्थ अर्पाटमेन्ट योजना के सामने।
4. निर्माणाधीन ऐलन केरियर इन्स्टीयूट शैक्षणिक संस्था से लगभग 4-5 कि.मी. की दूरी पर।

आवेदन पत्र के साथ

1. आवेदन पुस्तिका में नीचे उल्लेखित बैंक के माध्यम से प्राप्त किये जा सकते है। पूर्ण फार्म निर्धारित पंजीयन राशि एवं प्रशासनिक शुल्क 2000/- सहित जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट

सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा

के नाम से उक्त बैंक में जमा होंगे।

2. आवेदन पत्र के साथ जमा होने वाले दस्तावेज–

1. पेन कार्ड की स्व अनुप्रमाणित प्रति। (EWS एवं LIG को छोड़कर)
2. आवेदक अपने खाते का एक Cancelled चैक CTS 2010 अथवा पासबुक की प्रति सलंग्न करें।
3. निवास प्रमाण–पत्र
4. अगर आरक्षित वर्ग की श्रेणी में आवेदन किया है तो सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत करें।
5. 1,00,000 की जनसंख्या वाले शहर में लीजहोल्ड/फ्री होल्ड का भूखण्ड/आवास नहीं होने का स्व घोषणा पत्र।
6. आय प्रमाण पत्र (सलंग्न प्रारूप के साथ)

ICICI Bank Address of Branches

1. ICICI Bank Ltd., 18, Jhalawar Road,Kota Ph.: 3295907, 5131094
2. ICICI Bank Ltd., Industrial Estate, Aerodrome Circle, Kota Ph.: 3296894, 3292064
3. ICICI Bank Ltd., Shri Ramnagar, Kota ph. : 5131002, 2480160
4. ICICI Bank Ltd., Nayapura, Kota Ph.: 3297434,3297497
5. ICICI Bank Ltd., New Railway Colony, Co-Operative Bldg, Kota Jn. Ph.: 2362284
6. ICICI Bank Ltd., Near Barthunia Clinic, 2 -B-14, Talwandi, kota Ph.: 2390523,5132545
7. ICICI Bank Ltd., MPB-92, Mahaveer Nagar First, Kota Ph.: 2758642
8. ICICI Bank Ltd., Aklank Public School, Basant Vihar,Kota Ph.: 2402046
9. ICICI Bank Ltd., Bhamashah Mandi, Bankers Block, Anantpura Kota Ph.: 2490956
10. ICICI Bank Ltd., Bhimganj Mandi, Kota Junction, Kota Ph.: 3295956,2440401
11. ICICI Bank Ltd., Rampura Bazar, Kota Ph.: 2382382,380380
12. ICICI Bank Ltd., Patanpol, Kota Ph.: 3200125,2385152
13. ICICI Bank Ltd., Subzi mandi, Kota Ph.: 3292062

आवेदन पत्र दिनांक 11-06-2018 से 26-06-2018 तक रू. 500/- के शुल्क पर ICICI Bank की इन शाखाओं से बैंक समय प्रातः 10.00 से अपरान्ह 4.00 तक प्राप्त किये जा सकते हैं तथा इसी अवधि में इन बैंक शाखाओं में जमा करवाये जा सकते है।

नगर विकास न्यास, कोटा

Ph. : 0744 2500539

kotauit@yahoo.com,www.uitkota.org

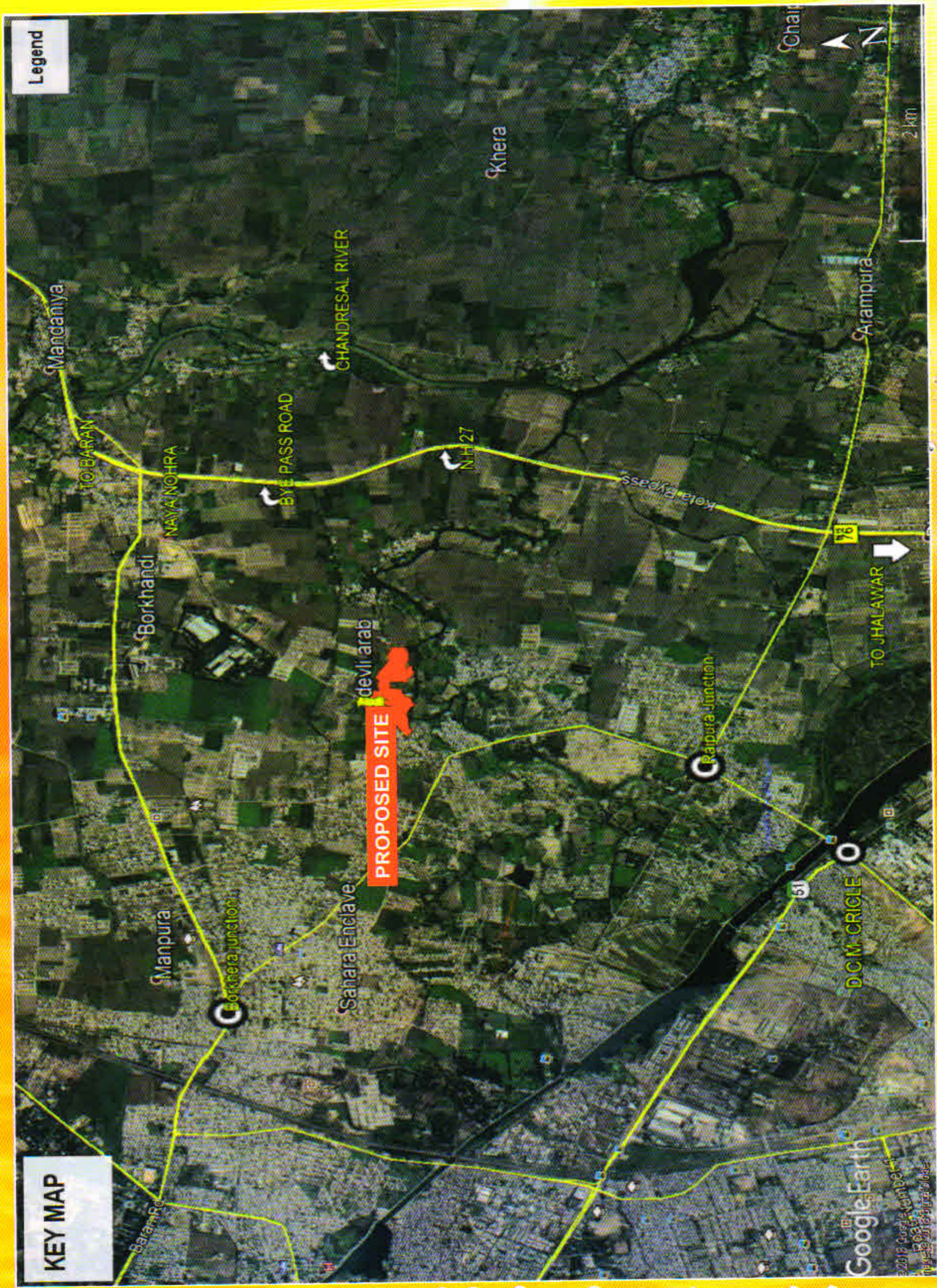

मुद्रकः तिरुपति ऑफसेट प्रिन्टर्स एलएलपी, 5-बी-46, विज्ञान नगर, कोटा फोन : 2410200

नगर विकास न्यास कोटा

कोटा में बढ़ते शहरीकरण के कारण भूखण्डों की विक्रय दर अधिक हो गई है। जिससे कमजोर आय वर्ग व मध्यम वर्ग के लोगों के लिए भूखण्डों को खरीद पाना कठिन हो गया है। इस कठिनाई को महसूस करते हुए एवं जनहित के दृष्टिगत नगर विकास न्यास कोटा द्वारा न्यास की ग्राम देवली अरब की आबादी के समीप न्यास की प्रस्तावित पार्थ अर्पाटमेन्ट योजना के सामने मीरा बाई आवासीय योजना में भूखण्डों के आवंटन हेतु आवेदन आमंत्रित किए जा रहे है। योजना में आवंटन हेतु भूखण्डों की कुल संख्या **77** निर्धारित है, जिनकी संख्या घटाई /बढ़ाई जा सकती है। भूखण्डों का आवंटन लॉटरी पद्वति से किया जाएगा। जिसमे राज्य सरकार के नियमानुसार विभिन्न वर्गो के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

आवेदन पुस्तिका में आवेदन की शर्तें,भूखण्डों की दर,भूखण्डों के साइज आदि बिन्दुओं का उल्लेख कर दिया है। अतः इस योजना में आवेदन कर लाभ उठावें।

शुभकामनाओं सहित।

रामकुमार मेहता
अध्यक्ष
नगर विकास न्यास, कोटा

आनन्दी लाल वैष्णव
सचिव
नगर विकास न्यास, कोटा

नगर विकास न्यास, कोटा

मीरा बाई आवासीय योजना

योजना स्थल :–

प्रस्तावित योजना खसरा नं. 561,559,558,552,548,553,550,532,531,530, 529,528,527,519,518,517 आंशिक 516,520,522,526,499,494,498, 495,497,496,409,407,394 पर देवली अरब ग्राम की आबादी के समीप स्थित है। योजना ग्राम दवेली अरब से नया नोहरा एवं हनुमन्त खेड़ा को जाने वाली सड़क पर स्थित है उक्त योजना न्यास की मुख्यमंत्री आवास योजना 2015 के अर्न्तगत प्रस्तावित पार्थ अर्पाटमेन्ट योजना के सामने स्थित है। योजना स्थल से लगभग 4 से 5 कि.मी. की दूरी पर शैक्षणिक संस्थान एलेन केरियर इंस्ट्रीयट की भवन निर्माणाधीन है। व अन्य शैक्षणिक संस्थाऐं जैसे सिंघानियाँ स्कूल, विद्याश्रम स्कूल, आदि स्थित है। उक्त योजना से लगभग 2 कि.मी. की दूरी पर स्मृति वन बनाया जाना प्रस्तावित है। योजना स्थल पर रायपुरा से बोरखेड़ा जाने वाली सड़क से 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। उक्त स्थल पर नया नोहरा से देवली अरब को जाने वाली सड़क से भी पंहुचा जा सकता है।

योजना की विशेषताएं :–

1. **देवली अरब ग्राम की आबादी के समीप स्थित है।**
2. **योजना ग्राम देवली अरब से नया नोहरा एवं हनुमन्त खेड़ा को जाने सड़क पर स्थित है।**
3. **न्यास की प्रस्तावित पार्थ अर्पाटमेन्ट योजना के सामने स्थित है।**

उपलब्ध भूखण्डों का विवरणः–

क्र. स.	श्रेणी	भूखण्डों की संख्या	भूखण्डों का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	भूखण्डों का क्षेत्रफल वर्ग फीट में	अनुमानित कीमत Rs.	पंजीयन राशि Rs.	पात्रता हेतु आय वर्ग (राशि रू. प्र.माह)
1.	EWS	14	4.5x9= 40.5	435.78	5091/- प्रति वर्गमीटर	10000/-	10000 तक
2.	LIG	34	6x12= 72	774.72	12217/- प्रति वर्गमीटर	15000/-	10001 से 15000
3.	MIG (i)	24	7.5x15= 112.5	1210.50	20362/- प्रति वर्गमीटर	20000/-	15001 से 30000
4.	MIG (ii)	5	9x18= 162	1743.12	20362/- प्रति वर्गमीटर	25000/-	15001 से 30000

कुल भूखण्ड **77**

पंजीयन राशि के साथ 2000/–रू. प्रशासानिक शुल्क राशि जमा होगी ,जो अदेय है। (Non Refundable)

योजना का विवरण :–

उक्त योजना में न्यास ने **77** भूखण्ड आवंटन हेतु निर्धारित किये है। उक्त संख्या मांग एवं उपलब्धता के आधार पर घटाई–बढाई जा सकती है। उक्त योजनाओं में कॉर्नर भूखण्ड होने की स्थिति में 10 % अतिरिक्त चार्ज देय होगा।सभी भूखण्डो का आवंटन लॉटरी पद्धति से किया जावेगा।

पात्रता

1. आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
2. आवेदक को वयस्क होना चाहिए अर्थात् आवेदन–पत्र जमा कराने की तिथि को आवेदक की आयु 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए।
3. आवेदक का किसी भी बैंक में खाता होना चाहिए और आवेदक आवेदन–पत्र में उसका विवरण अवश्य भरें। यह माना जाता है कि बैंक ने ऐसे खातों के धारकों के सम्बन्ध में RBI के KYC मानकों का पालन किया है।
4. आवेदक के पास आयकर अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत आवंटित स्थाई खाता संख्या (**PAN**) होना चाहिए। (**EWS** एवम् **LIG** को छोड़कर)
5. 1,00,000 की जनसंख्या वाले शहर में लीजहोल्ड/फ्री होल्ड का भूखण्ड/आवास नही होना चाहिए।
6. निर्धारित श्रेणी में आवेदन करने हेतु उसी आय वर्ग में होना आवश्यक है।
7. संयुक्त नाम से आवेदन की स्थिति में दोनो एक ही श्रेणी के होना अनिवार्य है।

आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया :–

1. आवेदन पत्र आवेदन पुस्तिका में उल्लेखित बैंक के माध्यम से प्राप्त किये जा सकते है।आवेदक अपने नाम से केवल एक आवेदन अन्तिम पृष्ठ पर दिये गए फार्म एवम् चालान भरकर जमा करा सकता है।
2. सभी श्रेणीयों के लिए आवेदन पत्र एक ही है कृपया कोष्ठक में सही (✓) का चिन्ह लगायें। जिस श्रेणी के लिए आवेदन किया जाये,उसी श्रेणी का चालान फार्म संलग्न करना आवश्यक है।
3. आवेदन पत्र में कृपया शुद्ध हिन्दी में अपना पूर्ण नाम, पता स्पष्ट मोटे अक्षरो में लिखे तथा अपने पिता/पति का नाम, पत्र व्यवहार का पता, मोहल्ला, गली,बाजार,मकान नं0 सहित शहर/जिले का नाम, पिनकोड नं0 सहित स्वच्छ लेख में लिखे। प्रत्येक कटिंग पर हस्ताक्षर करें, आवेदन पत्र में टेलीफोन नं0/मोबाइल नं0 यदि हो तो लिखे तथा निर्धारित कॉलम में आवेदक के नाम का बैंक खाता संख्या तथा बैंक का नाम, IFSC कोड लिखे।
4. आवेदन पत्र पर नवीनतम पासपोर्ट साईज का स्व प्रमाणित फोटो अच्छी प्रकार से चिपकाए।

5. आवेदन पत्र कार्यालय में जमा कराने के पश्चात् पते में परिवर्तन के अलावा कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा।
6. आवेदक आवेदन पत्र के सभी कॉलमों की पूर्ति करे,जो कॉलम लागू नही होता हो उसे स्पष्ट रूप से X (नही) अंकित करें।
7. आवेदन पत्र केवल आवेदन पुस्तिका में वर्णित बैंक के माध्यम से जमा किये जाएंगे।
8. सभी दस्तावेज की सुनिश्चितता स्वयं के स्तर पर करें
9. संयुक्त नाम से आवेदन पर दोनो आवेदकों के फोटो आवश्यक है तथा प्रपत्रों पर दोनो के क्रमानुसार संयुक्त हस्ताक्षर आवश्यक है। प्रथम आवेदक का बैंक का नाम एवं खाता संख्या आवेदन पत्र में देवें।

विशेष अनुदेश

1. **EWS** एवम् **LIG** को छोड़कर आवदेक का स्थायी खाता संख्या (पैन) दिया जाना आवश्यक है। साथ ही **PAN CARD** की स्वअनुप्रमाणित प्रति अवश्य लगाए ।
2. आवेदक अपने खाते का एक कैन्सिल्ड चैक (cancelled cheque CTS 2010) संलग्न करे। अथवा बैंक पास बुक प्रति सलंग्न करें, जिसमें बैंक खाता संख्या एवं IFSC Code हो।
3. कृपया एसटीडी कोड सहित अपना फोन नं0, ई–मेंल आईडी और मोबाईल नं0, यदि कोई हो, दे। यह आवेदक के हित में होगा कि वे ये विवरण दें क्योकि इससे किसी प्रकार की आवश्यकता होने पर आवेदक से सम्पर्क करने में न्यास एवं बैंक को सहायता मिलेगी।
4. निःशक्त व्यक्ति अपने नाम से आवेदन कर सकते है। यदि वह स्वयं आवेदन पत्र जमा कराने में अक्षम तो वह आवेदन पत्र अपने कानूनी संरक्षक के माध्यम से जमा करा सकता/सकती है।
5. आवेदक का रिहायशी पता दिया जाना आवश्यक है।
6. धन राशि की वापसी का चैक/मांग एवं आवंटन पत्र भेजने के लिए पत्र व्यवहार के पते का उल्लेख करें।

7. आवेदन करते समय की आय को आधार माना जायेगा। अतः आवेदन पुस्तिका में वर्णित पात्रता हेतु निर्धारित आय वर्ग के अनुसार ही आय प्रमाण पत्र देवें तथा उसमें केवल प्रति माह आय अंकित करें। सेवानिवृत कार्मिकों/सैनिकों की वर्तमान पेंशन ही आय का आधार होगी। उन्हे अपनी बैंक पास बुक की प्रति/पेंशन डायरी की प्रतिलिपि सलंग्न करनी होगी

8. **आवेदन फार्म के साथ निर्धारित प्रारूप में आय प्रमाण पत्र सलंग्न नही करने पर आवेदन निरस्त किया जायेगा तथा निर्धारित आय से कम/अधिक आय / शून्य आय की स्थिति में आवेदन निरस्त किया जायेगा।**

9. पंजीकरण राशि का विवरण लिखें, डिमाण्ड ड्राफ्ट ***सचिव, नगर विकास न्यास कोटा*** के पक्ष में देय होना चाहिए।

आरक्षण :–

भूखण्डों की प्रत्येक श्रेणी में विभिन्न वर्गो के लिए भूखण्ड आरक्षण के प्रतिशत की तालिका नीचे दी गयी है। जो व्यक्ति जिस वर्ग के अन्तर्गत भूखण्ड हेतु आवेदन करेंगे उन्हे उसी वर्ग के लिए लॉटरी मे सम्मिलित किया जायेगा। किसी अन्य वर्ग मे उनका कोई दावा स्वीकार नही किया जायेगा। फार्म में वर्ग का कोई उल्लेख नहीं होने पर सामान्य वर्ग का आवेदन माना जावेगा।

राज्य सरकार के विभागो एवं राजकीय उपक्रमो के कर्म0	सैनिक/सेवानिवृत सैनिक एवं सैनिको की विधवाए	अनुसूचित जाति के	अनुसूचित जनजाति	शारीरिक निःशक्त जन के लिए	अधिस्वीकृत पत्रकार	सामान्य श्रेणी के लिए
10%	10%	9%	6%	3%	2%	60%

स्पष्टीकरण :

1. जो व्यक्ति राजस्थान सरकार/राजस्थान स्थित विश्वविद्यालय/राज्य के स्थानीय निकायो व राजस्थान सरकार के उपक्रमो के अधीन नियमित रूप से कार्यरत है तथा राजस्थान के मूल निवासी है, उन्ही को राज्य कर्मचारी के वर्ग मे माना जायेगा। ऐसे व्यक्ति को अपने नियोजक/विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा। पेंशनर को इस वर्ग में नही माना जावेगा।
2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य वह व्यक्ति है जो राजस्थान की जनगणना मे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रूप मे सूचीबद्व है।ऐसे व्यक्ति को राजस्थान सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।
3. सैनिक का अर्थ थल, जल, वायुसेना, बी.एस.एफ., सी.आर.पी.एफ. एवं सी. आई.एस.एफ.,कार्यरत अथवा इन सेवाओ से सेवानिवृत कर्मचारी/अधिकारी से है।

4. सैनिको की विधवाये वे है जिनके पति सैनिक रहे हो एवं मृत्यु सेवा काल के दौरान हो गई हो ।

5. अधिस्वीकृत पत्रकार वे है जिन्हे राजस्थान सरकार/भारत सरकार की प्राधिकृत संस्था द्वारा अधिस्वीकृत पत्रकार की मान्यता दी गई है एवं वर्तमान में भी पत्रकारिता का कार्य कर रहे हो ।

6. विकलांग व्यक्ति वे है जो शारीरिक अयोग्यता के कारण विकलांग हो चुके है तथा राज्य सरकार के प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित है।

7. किसी भी आरक्षित वर्ग के आवेदन पत्र पर्याप्त संख्या मे प्राप्त नही होने पर उस वर्ग के शेष भूखण्डो का आवंटन सामान्य श्रेणी के उसी आय वर्ग के आवेदको को किया जायेगा।

8. संयुक्त आवेदन की स्थिति में सभी आवेदकों को एक ही आरक्षित श्रेणी का होना अनिवार्य है अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त किया जावेगा।

9. आवेदन करते समय की आय को आधार मानकर पात्रता निर्धारित की जावेगी। अतः आय प्रमाण पत्र में आवेदन पुस्तिका में दी गई तालिका में पात्रता हेतु निर्धारित आय के अनुसार ही प्रति माह आय भरें। निर्धारित आय से कम/अधिक आय की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त योग्य होंगे सेवानिवृत कर्मचारियों एवं सैनिकों की वर्तमान पेंशन को ही आय का आधार माना जावेगा। आय के सम्बन्ध में ऐसे आवेदक अपनी वर्तमान बैंक पास बुक की प्रति/पेंशन डायरी में वर्तमान पेंशन की प्रतिलिपि संलग्न करें।

10 एक व्यक्ति एक ही वर्ग में आवेदन का पात्र होगा, यदि उसके द्वारा एक से अधिक वर्ग में आवेदन किया तो समस्त आवेदन निरस्त योग्य होंगे।

11 अन्य पिछ़डा वर्ग से सम्बन्धित आवेदकों द्वारा एस.सी./एस.टी. वर्ग में आवेदन नही किया जा सकता है।यदि ऐसे आवेदन पाये गये तो वह निरस्त योग्य होंगे।

12 एक बार आय प्रमाण पत्र देने के बाद दुबारा, दुसरा आय प्रमाण पत्र स्वीकार नही किया जायेगा।

आवेदन कैसे करें

1. इस योजना के अन्तर्गत आवेदन कर रहे आवेदक को निर्धारित पंजीकरण राशि एवम् 2000/– का प्रशासनिक शुल्क (Non Refundable) डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा जमा कराना होगा।
2. पंजीकरण राशि यूआईटी कोटा में देय, किसी भी बैंक के सिंगल डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे–ऑर्डर द्वारा आवेदन पुस्तिका में उल्लेखित बैंक की किसी भी नोडल शाखा में जमा करनी होगी
3. आवश्यक भुगतान के साथ सभी तरह से विधिवत पूरा आवेदन–पत्र आवेदन पुस्तिका में उल्लेखित बैंक द्वारा आवेदन–पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि से पूर्व बैंकिंग समय के समापन से पूर्व दिए जाऐंगे। यूआईटी समापन समय के पश्चात, किसी भी कारण से आवेदन पत्र की प्राप्ति में विलम्ब के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
4. आवेदन पत्र योजना बंद होने की तिथि के बाद स्वीकार नहीं किये जायेंगे। यदि किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि भुगतान की तिथि योजना के बंद होने के बाद की है तो ऐसे आवेदन पत्रो को अस्वीकार कर दिया जायेगा और इसका पूर्ण जिम्मेदार आवेदक होगा। लॉटरी के ड्रा में ऐसे आवेदन पत्र पर विचार नही किया जावेगा।
5. किसी भी सशर्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। दस्तावेज के अभाव में तथा अपूर्ण आवेदन पत्रो को आवेदक को बिना कोई कारण बताये सीधे ही अस्वीकार कर दिया जाएगा।

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 26-06-2018 है।

आवेदन पत्र के साथ जमा किये जाने वाले दस्तावेज

(क) समस्त वर्गो के लिए

1. निर्धारित पंजीयन राशि एवं प्रशासनिक शुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट
2. सभी आवेदन पत्रो के साथ आयकर विभाग द्वारा जारी पैन (स्थाई खाता संख्या) की स्व अनुप्रमाणित प्रति।(**EWS** एवम् **LIG** को छोड़कर)
3. निवास का प्रमाण जैसे पासपोर्ट, सरकारी पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड,ड्राईविंग लाईसेंस, टेलीफोन बिल, बिजली का बिल, पानी का बिल, गृह कर की रसीद, बैंक पास बुक (जिस पर नाम व पता हो) की स्व अनुप्रमाणित प्रति।
4. 1,00,000 की जनसंख्या वाले शहर में लीजहोल्ड/फ्री होल्ड का भूखण्ड/आवास नही होने का स्व घोषणा पत्र।
5. सलग्न प्रारूप अनुसार आय प्रमाण पत्र
6. आवेदक के बैंक खाते का एक Cancelled चैक अथवा नवीनतम पास बुक की प्रति जिसमे खाता संख्या एवं बैंक के IFSC कोड नं. हो।

(ख) आरक्षित वर्ग **के लिएः–**

उपर्युक्त (क) के अतिरिक्त किसी भी आरक्षित वर्ग के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदको को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे ।

1. यदि आवेदक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षित वर्गो से संबंध रखता है, तो उसे संबंधित क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट / तहसीलदार/नायब तहसीलदार से प्राप्त मूल प्रमाण पत्र की स्व–अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
2. यदि आवेदक निःशक्त व्यक्तियों के आरक्षित वर्ग के अन्तर्गत आवेदन करता है, तो उसे सरकारी अस्पताल के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किए गए मूल प्रमाण पत्र की स्व–अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
3. भूतपूर्व सैनिको के मामले में रक्षा मंत्रालय/सशस्त्र बलों के सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त सेवा मुक्ति प्रमाण पत्र की अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
4. यदि आवेदक युद्ध में शहीद हुए सैनिको की विधवाओं,जिसमें उदारीकृत पेंशन प्राप्त करने वाली विधवाएं भी शामिल है, की आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आता है तो उसे रक्षा मंत्रालय/सशस्त्र बलों/अर्द्धसैनिक बलों द्वारा

जारी किए गए ''अपेक्षित प्रमाण–पत्र'' की स्व–अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

5. राज्य सरकार के विभागों स्थानीय निकायों एवं राजस्थान सरकार के राजकीय उपक्रमो के कर्मचारियों को अपने नियोजक/विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

आवंटन की प्रक्रिया

(1) लाटरी योग्य भूखण्डो की संख्या 79 है। उक्त संख्या उपलब्धता के अनुसार घटाई–बढाई जा सकती है। भूखण्डो का आवंटन लॉटरी पद्धति के अनुसार राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 व राजस्थान नगर सुधार (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के अन्तर्गत 99 वर्षीय पट्टेदारी लीज होल्ड के आधार पर किया जावेगा। लाटरी जन साधारण के सामने निकाली जावेगी जिसकी तिथि की सूचना स्थानीय समाचार पत्रों में दी जावेगी, और लॉटरी के पूर्व अपूर्ण आवेदन पत्रों की सूची न्यास के सूचना पट्ट पर लगाई जावेगी। आवेदको द्वारा अपूर्ण आवेदन पत्रों को निर्धारित तिथि तक पूर्ण नहीं करने पर उन्हें लाटरी हेतु अयोग्य माना जावेगा जिसकी जिम्मेदारी न्यास की नहीं होगी।

(2) आवेदको के द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर भी लॉटरी निकाली जा सकती है । ऐसी स्थिति में यदि लॉटरी निकालने के बाद आवेदन पत्रों में कोई कमी अथवा मिथ्या सूचना पाई जाती है तो सफल आवेदकों की सूची से नाम हटाते हुए आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा। अतः आवेदन फार्म भरते समय आवेदक निर्धारित मापदण्डो की पालना सुनिश्चित कर लें।

(3) सफल आवंटितियों को मांग एवं आवंटन पत्र पंजीकृत डाक से भेजे जाऐंगे। तथापि ड्रॉ का परिणाम देखने की पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी। आवेदक/आवंटिती को मांग एवं आवंटन पत्र देर से मिलने/नही मिलने के लिए नगर विकास न्यास जिम्मेदार नहीं होगा।

मांगी गई राशि के भुगतान की पद्धतिः–

(1) लाटरी में सफल आवेदको को आवंटन पत्र जारी किए जावेंगे। भूखण्डो की राशि आवंटन पत्र के 30 दिन में एक मुश्त राशि जमा करानी होगी। तत्पश्चात आवंटी अगले 60 दिन तक 15 प्रतिशत ब्याज सहित आवंटन पत्र जारी करने की तिथि से राशि जमा करा सकेगा। इसके पश्चात आवंटन स्वतः निरस्त हो जावेगा तथा जमा शुदा अग्रिम राशि जब्त कर ली जावेगी। आवेदन पत्र के साथ जमा कराई राशि बिना ब्याज के भूखण्ड की राशि में समायोजित कर ली जावेगी। शेष भुगतान योग्य राशि नकद/स्थानीय चैक/डी.डी./पे–ऑर्डर से आवेदन पुस्तिका में उल्लेखित बैंक में देय तिथि तक जमा कराई जा सकेगी। निर्धारित तिथि तक न्यास खाते में राशि जमा कराने का दायित्व आवंटी का होगा। भूखण्ड की राशि के साथ साईट प्लान के रू. 200/– अतिरिक्त जमा कराने होंगे। दिनों व ब्याज की गणना आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से की जावेगी।

असफल आवेदकों की पंजीयन राशि की वापसीः–

1. नगर विकास न्यास को दी गई पंजीकरण राशि आवेदक पुस्तिका में उल्लेखित बैंक द्वारा जहां आवेदक ने आवेदन पत्र जमा किया हो, द्वारा वापस की जाएगी। संबंधित बैंक, असफल आवेदकों को धन वापसी के चैक भेजने के लिए उत्तरदायी होगा। इसमें किसी प्रकार की हानि के मामले में जिम्मेदारी बैंक द्वारा ली जाएगी। यूआईटी या बैंक योजना के बंद होने के एक साल के बाद राशि वापसी / धन वापसी के चैक का भुगतान न होने से संबंधित आवेदन स्वीकार नहीं करेगा।
2. जमा राशि वापस प्राप्त करने के लिए आवेदक को अपने बैंक खाते का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा। एकाउंट नम्बर एवं बैंक के विवरण चैक पर चिन्हित होंगे। इसलिए आवेदक को ध्यानपूर्वक ये विवरण आवेदन पत्र में भरने होंगे।

3. यदि आवेदक ने एक ऐसे स्थान/कार्यालय का पता दिया है, जहां कोरियर का प्रवेश प्रतिबंधित है, वहां धनराशि वापिस करने के चैक/मांग पत्र भेजने सहित सभी पत्र व्यवहार कोरियर के असफल रहने पर निर्धारित तरीके से भेजे जाएंगें। ऐसे मामलो में आवेदक को आवेदन पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ पर में दिए गए बैंक के नोडल अधिकारियों से सम्पर्क करने की सलाह दी जाती है। इन मामलो में आवेदक/आवंटिती द्वारा पत्र प्राप्ति में देरी/प्राप्त नहीं होने के लिए यूआईटी/बैंक उत्तरदायी नही होगा।

टिप्पणी– यदि आवेदक की फर्म/कंपनी के खाते से आवेदन शुल्क का भुगतान किया जा चुका है तो राशि वापिस करने के उद्देश्य से आवेदक को अपने बैंक संबंधी ब्योरे उपलब्ध कराने होंगे क्योकि इन ब्यौरों को धन वापिसी चैक पर भी लिखा जाएगा। यदि खाता संख्या और पाने वाले का नाम असंगत है तो बैंक भुगतान नही करेगा । ऐसी स्थिति से बचने के लिए यह सलाह दी जाती है कि आप आवेदन पत्र भरने से पूर्व इसकी पुनः जांच कर लें।

भूखण्डों की रजिस्ट्रीः–

आवंटी द्वारा भूखण्ड की संपूर्ण बकाया राशि,लीज आदि जमा करवा कर पट्टा विलेख प्रपत्र प्रस्तुत करना होगा,तद्परान्त न्यास द्वारा पट्टा विलेख (लीज डीड) जारी किया जावेगा। इस पट्टा विलेख का पंजीयन,पंजीयक मुद्रांक कार्यालय, में आंवटी द्वारा कराया जावेगा। पट्टा विलेख का समस्त व्यय आंवंटी द्वारा वहन किया जावेगा। सफल आवेदकों द्वारा भूखण्ड पर ऋण चाहने पर न्यास द्वारा बैंक सरकारी वित्तीय संस्थाओ का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा, परन्तु समय पर राशि जमा कराने की जिम्मेदारी आवंटी की होगी।

भूखण्ड पर नगरीय कर (लीज)

भूखण्ड पर नगरीय कर नियमानुसार जमा करवाना होगा ।

भूखण्ड का कब्जाः–

सम्पूर्ण राशि जमा होने पर 12 माह के अन्दर लीज डीड पंजीयन प्रपत्र प्रस्तुत नही करने पर न्यास द्वारा रु. 2000/– प्रति माह तक शास्ति (पेनाल्टी) लगाई जावेगी। लीज डीड का पंजीयन स्थानीय पंजीयन कार्यालय से कराने के बाद दो माह के अन्दर भूखण्ड का कब्जा न्यास के अधिकृत भवन निरीक्षक/कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा मौके पर दिया जावेगा। आवंटी कब्जा पत्र कार्यालय से प्राप्त करेंगे अथवा उनको रजिस्टर्ड डाक से भिजवाया जावेगा। कब्जा पत्र जारी करने की तिथि से 15 दिन के अन्दर आवंटी को न्यास के भवन निरीक्षक/कनिष्ठ अभियन्ता से सम्पर्क करना होगा, अन्यथा कब्जा स्वतः लिया हुआ मान लिया जावेगा। तत्पश्चात न्यास की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी । साइट प्लान व मौके पर कब्जा देने पर अतिरिक्त भूमि होने पर उसका नियमानुसार अतिरिक्त राशि आवंटी को तुरन्त जमा करानी होगी तथा भूखण्ड कॉर्नर का हेाने पर भूखण्ड की राशि का 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि आवंटी को देनी होगी।

भूखण्ड पर निर्माण कार्यः–

भूखण्ड के आवंटन तिथि से 5 वर्ष के अन्दर भूखण्ड पर भवन निर्माण कार्य करना होगा । अन्यथा भूखण्ड का आवंटन निरस्त हो जावेगा तथा आवंटी को भविष्य में रियायती दर पर भूखण्ड नहीं दिया जावेगा। आवंटी द्वारा आवेदन करने पर विशेष परिस्थितियों मे ंन्यास अध्यक्ष व न्यास मण्डल निर्धारित राशि व ब्याज तथा शास्ति लेकर निरस्त भूखण्ड को नियमित करके भूखण्ड पर निर्माण के लिए अवधि नियमानुसार बढा सकते है। भूखण्ड पर निर्माण के लिए न्यास से निर्माण स्वीकृति प्राप्त करनी होगी तथा प्रस्तावित निर्माण का नक्शा स्वीकृत कराना आवश्यक होगा।

भूखण्ड का हस्तान्तरणः–

आवंटन तिथि से 5 वर्ष तक किसी भी स्थिति में भूखण्ड का हस्तांतरण नही किया जा सकेगा। अगर आवंटी आवंटन से 5 वर्ष पश्चात् किन्तु 10 वर्ष पूर्व भूखण्ड हस्तांतरण करता है तो उस समय की प्रचलित आरक्षित दर की 5 प्रतिशत राशि जमा करवाने पर नियमानुसार अनुमति दी जा सकेगी परन्तु भविष्य में रियायती दर पर भूखण्ड प्राप्ति करने का आवंटी का अधिकार समाप्त हो जावेगा। आवंटी के नाम भूखण्ड की रजिस्ट्री होने के बाद ही विक्रय अनुमति दी जा सकेगी। विक्रय/हस्तान्तरण की पूर्वानुमति न्यास से प्राप्त की जाना आवश्यक है। भूखण्ड संबंधी सभी नियम/निर्णय आवंटी को मान्य होंगे।

अन्यः–

1. भूखण्ड का पुनर्गठन न्यास की स्वीकृति के बिना नही किया जावेगा और न ही दो या अधिक भूखण्डो की एक ईकाई बनाई जावेगी।
2. राज्य सरकार एवं न्यास द्वारा समय समय पर जारी किए नियम/संशोधन आवंटी पर लागू होंगे।
3. समस्त पत्राचार एवं ड्राफ्ट सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा के नाम से होगा।
4. किसी भी विवाद का न्याय क्षेत्र कोटा शहर होगा।
5. आवंटी पर राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम 1959 व राजस्थान नगर सुधार (शहरी भूमि निष्पादन) नियम 1974 के समस्त प्रावधान तथा न्यास निर्णय समय समय पर संशोधन के साथ लागू होगें ।
6. भूखण्डो की माप/संख्या में कम/ज्यादा की जा सकती है विषम परिस्थितियों में आंवटित भूखण्ड का कब्जा नही दिए जाने की स्थिति मे आवेदक द्वारा

जमा राशि बिना ब्याज के लौटाई जा सकेगी तथा मौके की स्थिति के अनुसार भूखण्ड का क्षेत्रफल कम या अधिक हो सकता है जो कि आवंटी को स्वीकार करना होगा।

7. यदि किसी आवेदक द्वारा गलत सूचना देकर तथा मिथ्या तथ्यों के आधार पर न्यास को धोखे मे रखते हुए भूखण्ड आवंटन का प्रयास किया है अथवा आवंटन करा लिया है व आवेदन पुस्तिका में अंकित शर्तो का पालन नहीं किया तो ऐसे आवेदको की जमा राशि व भूखण्ड को जब्त कर लिया जावेगा तथा आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा व नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
8. भूखण्ड अथवा उस पर बने भवन पर सक्षम अधिकारी द्वारा लागू किये समस्त कर शुल्क आदि की जिम्मेदारी आवंटी की होगी।
9. भूखण्ड आवंटन संबंधी समस्त प्रक्रिया संबंधी किसी भी बिन्दु पर विवाद होने पर अध्यक्ष, नगर विकास न्यास, कोटा का निर्णय सर्वमान्य व अंतिम होगा।
10. भूखण्ड के साथ अतिरिक्त जमीन की राशि नियमानुसार न्यास निर्णयानुसार आवंटी को अतिरिक्त जमा करानी होगी तथा भूखण्ड का क्षेत्रफल कम होने पर वास्तविक माप की राशि ही आंवटी से ली जावेगी।
11. लाटरी के संबंध में कोई भी जानकारी/सूचना लेखाधिकारी/वरिष्ठ नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, कोटा से प्राप्त की जा सकती है।
12. आवेदक भूखण्डो को आवेदन के पूर्व मौके पर जाकर देख लेंवे।
13. आवेदको के द्वारा आवेदन पत्र में प्रस्तुत सूचना के आधार पर भी लॉटरी निकाली जा सकती है । ऐसी स्थिति में यदि लॉटरी निकालने के बाद आवेदन पत्रों में कोई कमी अथवा मिथ्या सूचना पाई जाती है तो सफल आवेदकों की सूची से नाम हटाते हुए आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा। अतः आवेदन फार्म भरते समय आवेदक निर्धारित मापदण्डो की पालना सुनिश्चित कर लें।

स्व घोषणा पत्र
(समस्त आवेदकों के लिए)

स्व प्रमाणित फोटो

मैं ....पुत्र/पत्नि/पुत्री ....
.... आयु...................निवासी ....
....
....घोषणा करता/करती हूँ, कि

(1) यह कि मेरे या मुझ पर आश्रित के पास राजस्थान के 1,00,000 से अधिक आबादी वाले किसी कस्बा/शहर में कोई पूर्ण अथवा अपूर्ण, लीज होल्ड अथवा फ्री होल्ड आवासीय भूखण्ड अथवा मकान नहीं है तथा मैं राजस्थान का/ की मूल (बोनाफाईड) निवासी हूँ।

(2) यह कि आवेदन पुस्तिका को मैंने ध्यान, पूर्वक पढ़ लिया है तथा मैंरे द्वारा आवंटन पुस्तिका में दिये गये समस्त नियमों की पालना की जायेगी।

(3) उक्त वांछित प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में मुझे आवंटित भूखण्ड निरस्त किया जा सकेगा।

(4) मुझे या मेरे आश्रित को सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्था की किसी भी योजना में रियायती दर पर आवंटित आवास/भूखण्ड को 10 वर्ष पूर्व बेचान नहीं किया गया है

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं .... पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री ....

घोषणा करता/करती हूँ, कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है एवं मेरे द्वारा कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है। इस तथ्य से वाकिफ हूँ कि अगर मेरे द्वारा दी गई सूचना गलत पाई जाती है तो मेरे विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी तथा इस योजनान्तर्गत किये गये आवास का आवंटन रद्द कर दिया जायेगा।

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

आय संबंधी स्व घोषणा पत्र

(गैर वेतन भोगी/निजी व्यवसाय/निजी वेतन भोगी आवेदकों के लिए)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री ....
पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री ....जाति ....
निवासी...
तहसील...जिला..
राज्य ....की स्वंय की सकल मासिक आय रू0..
.... प्रतिमाह हैं।

घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं .... पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री ....
.... घोषणा करता/करती हूँ, कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है एवं मेरे द्वारा कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है। इस तथ्य से वाकिफ हूँ कि अगर मेरे द्वारा दी गई सूचना गलत पाई जाती है तो मेरे विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी तथा इस योजनान्तर्गत किये गये आवास का आवंटन रद्द कर दिया जायेगा।

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

पात्रता हेतु निर्धारित आय सीमा

क्र. स.	क्षेणी	पात्रता हेतु आय वर्ग (राशि रू. प्र.माह)
1.	**EWS**	**10000 तक**
2.	**LIG**	**10001 से 15000**
3.	**MIG (i)**	**15001 से 30000**
4.	**MIG (ii)**	**15001 से 30000**

सैनिक कोटे के अन्तर्गत आरक्षित भूखण्डों हेतु स्व घोषणा पत्र

मैं .... पुत्र/पत्नि/पुत्री .... आयु..निवासी... ....घोषणा करता/करती हूँ, कि:–

(1) यह कि उक्त आवासीय योजना में सैनिक कोटे से आरक्षित भूखण्ड हेतु एक मात्र मैं ही आवेदन कर रहा हूँ। परिवार के किसी अन्य सदस्य ने उक्त आरक्षित कोटे से भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन नहीं किया है।

(2) यह कि मेरे पिता/पति/पत्नि सैनिक थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। उनके आधार पर आरक्षित कोटे से मेरे अतिरिक्त परिवार के किसी भी सदस्य ने आरक्षित कोटे में भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन नहीं किया है तथा न ही मेरे स्व0 पिता/पति/पत्नि श्री/श्रीमती/.. ने एवम् हमारे परिवार के किसी सदस्य ने सैनिक कोटे में आज तक आरक्षित भूखण्डों में से कोई भूखण्ड आवंटित कराया है।

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं .... पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री .... घोषणा करता/करती हूँ, कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है एवं मेरे द्वारा कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है। इस तथ्य से वाकिफ हूँ कि अगर मेरे द्वारा दी गई सूचना गलत पाई जाती है तो मेरे विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी तथा इस योजनान्तर्गत किये गये आवास का आवंटन रद्द कर दिया जायेगा।

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

विकलांग प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री ....

पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री .... निवासी...

....

की मेरे द्वारा चिकित्सकीय जांच की गयी तथा ये शारीरिक रूप से अपंग हैं।

स्थान : प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी

दिनांक : के हस्ताक्षर मय मोहर

अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री ....

पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री ....निवासी...

....तहसील ....

जिला .... अधिस्वीकृत पत्रकार है।

स्थान : निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क/प्राधिकृत

दिनांक : अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

आय प्रमाण–पत्र (वेतन भोगी आवेदकों के लिए)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .... पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री .... इस विभाग में .... पद पर कार्यरत हैं एवं ये राजस्थान सरकार अथवा राजस्थान सरकार के उपकम की नियमित कर्मचारी हैं। इनकी सकल मासिक आय रू0 .... प्रति माह है।

विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष

दिनांक :

के हस्ताक्षर मय मोहर

स्थान :

विभाग/उपक्रम का नाम